



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267116
CG-DL-E-25102025-267116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 698]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

सं. 44/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 782(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थात:-

तालिका

क्र. सं.	अधिसूचना सं. और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	11/2018 – सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018,	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- i) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित

(1)	(2)
7.	उप-शीर्षक 2106 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 67 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त

ii) क्रम संख्या 8ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
8ख.	टैरिफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 या 8541 49 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान, उन सामानों को छोड़कर जिन पर मूल सीमा शुल्क से छूट का दावा किया गया है और निम्नलिखित के तहत अनुमति दी गई है, अर्थात्: - (i) अधिसूचना संख्या 45/2025 -सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका II की क्रम संख्या 69, 70, 71 और 72; (ii) अधिसूचना संख्या 24/2005 -सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित।

iii) क्रम संख्या 8ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
8ग.	शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 328 और 329 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त

iv) क्रम संख्या 8घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
8घ.	टैरिफ मद 9028 30 10 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 389 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त

v) क्रम संख्या 8ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
8ड.	टैरिफ मद 9802 00 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 400 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त

vi) क्रम संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
8ज.	शीर्षक 9804 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 404 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त

vii) क्रम संख्या 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

viii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
54.	शीर्ष 7110, स्तंभ (3) के अंतर्गत आने वाले सभी सामान, सिवाय - (ए) रोडियम; (बी) अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 233 और क्रम संख्या 232 के स्तंभ (3) में मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामान

ix) क्रम संख्या 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
54क.	शीर्षक 7112 के अंतर्गत आने वाले, बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक और राख, जो अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 201 के अंतर्गत आते हैं।

x) क्रम संख्या 56ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
56ख.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 194 और 195 के अंतर्गत आने वाले सभी माल

		xi) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>57.</td><td>अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 317 और 318 के स्तंभ (3), मद (i) के उप-मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान</td></tr></table> xii) क्रम संख्या 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>58.</td><td>अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 344 के अंतर्गत आने वाले सभी माल</td></tr></table> xiii) क्रम संख्या 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>59.</td><td>अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा शीर्ष 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल</td></tr></table>	(1)	(2)	57.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 317 और 318 के स्तंभ (3), मद (i) के उप-मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान	(1)	(2)	58.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 344 के अंतर्गत आने वाले सभी माल	(1)	(2)	59.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा शीर्ष 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल
(1)	(2)													
57.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 317 और 318 के स्तंभ (3), मद (i) के उप-मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान													
(1)	(2)													
58.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 344 के अंतर्गत आने वाले सभी माल													
(1)	(2)													
59.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा शीर्ष 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल													
2.	8/2020 – सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित उक्त अधिसूचना में, तालिका में, i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- “(viii) अधिसूचना संख्या 45/2025 – सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका III के क्रम संख्या 3,4,5,6,7,8,9 और 10”; ii) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>3.</td><td>अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 और 388 के अंतर्गत आने वाले सभी माल</td></tr></table>	(1)	(2)	3.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 और 388 के अंतर्गत आने वाले सभी माल									
(1)	(2)													
3.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 और 388 के अंतर्गत आने वाले सभी माल													
3.	11/2021 – सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- i) क्रम संख्या 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>13क.</td><td>4011 30 00</td><td>अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के</td><td>0.5%</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	13क.	4011 30 00	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के	0.5%					
(1)	(2)	(3)	(4)											
13क.	4011 30 00	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के	0.5%											

खंड (i) में
प्रकाशित, संख्या
सा.का.नि.
69(अ), दिनांक 1
फरवरी, 2021

		क्रम संख्या 157 के अंतर्गत आने वाले सभी माल	
--	--	---	--

ii) क्रम संख्या 15ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
15ग.	71 (7106, 7108 को छोड़कर)	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के क्रम संख्या 194 और 195 के अंतर्गत आने वाले सभी माल	0.35%

iii) क्रम संख्या 16कघ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16कघ.	8702, 8704	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 315 और 316 के स्तंभ (3), मद (i) के उप-मद (क) और उप-मद (ख) के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	20%

iv) क्रम संख्या 16कड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16कड.	8702, 8704	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 315 और 316 के स्तंभ (3), मद (1) के उप-मद (ख) के अंतर्गत आने वाले सभी सामान	5%

v) क्रम संख्या 16कच और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16कच.	8703	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 317 और 318 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	67.5%

vi) क्रम संख्या 16कछ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16कछ.	8703	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I की क्रम संख्या 317 और 318 के स्तंभ (3), मद (ii) के उप-मद (क) के अंतर्गत आने वाले सभी सामान	40%

vii) क्रम संख्या 16कज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16कज.	8711	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I के क्रम संख्या 328 और 329 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	40%

viii) क्रम संख्या 16क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16क.	8802 2000, 8802 3000, 8802 4000	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I के क्रम संख्या 344 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान	0.5%

viii) क्रम संख्या 16ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16ग.	9028 3010	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I के क्रम संख्या. 389 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	7.5%

ix) क्रम संख्या 16ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16ड.	9503 0091	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I के क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान	7.5%

x) क्रम संख्या 16च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16च.	9503 0091	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I की क्रम संख्या. 396 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	20%

xi) क्रम संख्या 16छ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16छ.	9802 0000	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में तालिका I की क्रम संख्या 400 के अंतर्गत आने वाले माल के अलावा सभी माल	70%

xii) क्रम संख्या 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	कोई भी अध्याय	इसके अंतर्गत आने वाले सभी सामान-, (i) तालिका I के क्रम संख्या 105, 181, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 और 440; (ii) तालिका II के क्रम संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71 और 72; (iii) तालिका III के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14;	शून्य

		(iv) तालिका IV का क्रम संख्या 1; जिस पर मूल सीमा शुल्क से छूट का दावा किया गया है और अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के तहत अनुमति दी गई है
		xiii) अनुलग्नक में, क्रम संख्या 8,14,19,20,32,35,36, 37, 39, 51,53,54,63,87,98,124,145,146, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 163, 165, 171 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।
4.	52/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 787 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190341/168/2025- टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018 – सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2025 – सीमा शुल्क, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202(अ), दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

- अधिसूचना संख्या 8/2020 – सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 35/2024 – सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 438(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2024 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021 – सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 69(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2025 – सीमा शुल्क, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 27 मार्च, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।
- प्रधान अधिसूचना संख्या 52/2017 – सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था

और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 38/2024 – सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

No. 44/2025 –Customs

G.S.R. 782(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), section 141 of Finance Act, 2020 (12 of 2020) and 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments								
(1)	(2)	(3)								
1.	11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2 nd February, 2018	In the said notification, in the TABLE,- i) for Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>7.</td><td>All goods falling under sub-heading 2106 90 other than goods covered under S. No. 67 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td></tr></table> ii) for Sl. No. 8B and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>8B.</td><td> All goods falling under tariff item 8541 42 00, 8541 43 00 or 8541 49 00 other than goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under the following namely: - (i) Sl. nos. 69, 70, 71 and 72 of the TABLE II of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025; (ii) notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st </td></tr></table>	(1)	(2)	7.	All goods falling under sub-heading 2106 90 other than goods covered under S. No. 67 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	(1)	(2)	8B.	All goods falling under tariff item 8541 42 00, 8541 43 00 or 8541 49 00 other than goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under the following namely: - (i) Sl. nos. 69, 70, 71 and 72 of the TABLE II of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025; (ii) notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st
(1)	(2)									
7.	All goods falling under sub-heading 2106 90 other than goods covered under S. No. 67 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025									
(1)	(2)									
8B.	All goods falling under tariff item 8541 42 00, 8541 43 00 or 8541 49 00 other than goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under the following namely: - (i) Sl. nos. 69, 70, 71 and 72 of the TABLE II of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025; (ii) notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st									

March, 2005, published in the Gazette of India vide number G. S. R. 122(E), dated the 1st March, 2005.

iii) for Sl. No. 8C and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
8C.	All goods falling under heading 8711 other than those covered under Sl. Nos. 328 and 329 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

iv) for Sl. No. 8D and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
8D.	All goods falling under tariff item 9028 30 10 other than goods covered under S.No. 389 of the TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

v) for Sl. No. 8E and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
8E.	All goods falling under tariff item 9802 00 00 other than goods covered under S.No. 400 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

vi) for Sl. No. 8H and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
8H.	All goods falling under heading 9804 other than goods covered under S. No. 404 of the TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

vii) Sl. No. 52 and the entries relating thereto shall be omitted;

viii) for Sl. No. 54 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
54.	All goods falling under heading 7110, under column (3), other than – (A) Rhodium; (B) goods covered under S. No. 233 and item (a) in column (3) against S. No. 232 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

ix) for Sl. No. 54A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
54A.	Spent catalyst and ash containing precious metals, falling under heading 7112, covered under S. No. 201 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025

x) for Sl. No. 56B and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
56B.	All goods covered under S. Nos. 194 and 195 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025

xi) for Sl. No. 57 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
57.	All goods falling under heading 8703 other than those covered under column (3), sub-item (a), of item (i) of S. Nos. 317 and 318 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025

xii) for Sl. No. 58 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
58.	All goods covered under S. No. 344 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025

		xiii) for Sl. No. 59 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>59.</td><td>All goods falling under heading 9503 other than the goods covered under S. No. 396 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td></tr></table>	(1)	(2)	59.	All goods falling under heading 9503 other than the goods covered under S. No. 396 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025																				
(1)	(2)																									
59.	All goods falling under heading 9503 other than the goods covered under S. No. 396 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025																									
2.	8/2020-Customs, dated the 2 nd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 68(E), dated the 2 nd February, 2020	In the said notification, in the TABLE, i) against Sl. No. 2, for item (viii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:- “(viii) Sl. Nos. 3,4,5,6,7,8,9 and 10 of TABLE III of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025”; ii) for Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>3.</td><td>All goods covered under S. Nos. 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 and 388 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td></tr></table>	(1)	(2)	3.	All goods covered under S. Nos. 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 and 388 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025																				
(1)	(2)																									
3.	All goods covered under S. Nos. 363, 364, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385, 386, 387 and 388 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025																									
3.	11/2021-Customs, dated the 1 st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 69(E), dated the 1 st February, 2021	In the said notification, in the Table,- i) for Sl. No. 13A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>13A.</td><td>4011 30 00</td><td>All goods covered under S. No. 157 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>0.5%</td></tr></table> ii) for Sl. No. 15C and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>15C.</td><td>71 (except 7106, 7108)</td><td>All goods covered under S. Nos. 194 and 195 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>0.35%</td></tr></table> iii) for Sl. No. 16AD and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>16AD.</td><td>8702, 8704</td><td>All goods other than goods covered under column (3), sub-items</td><td>20%</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	13A.	4011 30 00	All goods covered under S. No. 157 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	0.5%	(1)	(2)	(3)	(4)	15C.	71 (except 7106, 7108)	All goods covered under S. Nos. 194 and 195 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	0.35%	(1)	(2)	(3)	(4)	16AD.	8702, 8704	All goods other than goods covered under column (3), sub-items	20%
(1)	(2)	(3)	(4)																							
13A.	4011 30 00	All goods covered under S. No. 157 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	0.5%																							
(1)	(2)	(3)	(4)																							
15C.	71 (except 7106, 7108)	All goods covered under S. Nos. 194 and 195 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	0.35%																							
(1)	(2)	(3)	(4)																							
16AD.	8702, 8704	All goods other than goods covered under column (3), sub-items	20%																							

		(a) and (b) of item (i) of S. Nos. 315 and 316 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025									
		iv) for Sl. No. 16AE and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-									
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>16AE.</td><td>8702, 8704</td><td>All goods covered under column (3), sub-item (b) of item (1) of S. Nos. 315 and 316 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>5%</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	16AE.	8702, 8704	All goods covered under column (3), sub-item (b) of item (1) of S. Nos. 315 and 316 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	5%	
(1)	(2)	(3)	(4)								
16AE.	8702, 8704	All goods covered under column (3), sub-item (b) of item (1) of S. Nos. 315 and 316 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	5%								
		v) for Sl. No. 16AF and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-									
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>16AF.</td><td>8703</td><td>All goods other than goods covered under S. Nos. 317 and 318 of the TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>67.5%</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	16AF.	8703	All goods other than goods covered under S. Nos. 317 and 318 of the TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	67.5%	
(1)	(2)	(3)	(4)								
16AF.	8703	All goods other than goods covered under S. Nos. 317 and 318 of the TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	67.5%								
		vi) for Sl. No. 16AG and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-									
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>16AG.</td><td>8703</td><td>All goods covered under column (3), sub-item (a) of item (ii) of S. Nos. 317 and 318 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>40%</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	16AG.	8703	All goods covered under column (3), sub-item (a) of item (ii) of S. Nos. 317 and 318 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	40%	
(1)	(2)	(3)	(4)								
16AG.	8703	All goods covered under column (3), sub-item (a) of item (ii) of S. Nos. 317 and 318 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	40%								
		vi) for Sl. No. 16AH and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-									
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>16AH.</td><td>8711</td><td>All goods other than goods covered under S. Nos. 328 and 329 of the TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025</td><td>40%</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	16AH.	8711	All goods other than goods covered under S. Nos. 328 and 329 of the TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	40%	
(1)	(2)	(3)	(4)								
16AH.	8711	All goods other than goods covered under S. Nos. 328 and 329 of the TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	40%								

vii) for Sl. No. 16A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16A.	8802 2000, 8802 3000, 8802 4000	All goods covered under S. Nos. 344 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	0.5%

viii) for Sl. No. 16C and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16C.	9028 3010	All goods other than goods covered under S.No. 389 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	7.5%

ix) for Sl. No. 16E and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16E.	9503 0091	All goods covered under S. No. 396 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	7.5%

x) for Sl. No. 16F and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16F.	9503 0091	All goods other than goods covered under S. No. 396 of TABLE I in notification No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025	20%

xi) for Sl. No. 16G and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
16G.	9802 0000	All goods other than goods covered under S. No. 400 of TABLE I in notification	70%

		No. 45/2025-Customs, dated 24th October, 2025									
		xii) after Sl. No. 19, the following shall be inserted namely:-									
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>20.</td><td>Any Chapter</td><td> All goods covered under-, (i) S.Nos. 105, 181, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 and 440 of TABLE I, (ii) S.Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71 and 72 of TABLE II, (iii) S.Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 14 of TABLE III, (iv) S.No 1 of TABLE IV, on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under notification No. 45/2025-Customs, dated the October 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) </td><td>NIL</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	20.	Any Chapter	All goods covered under-, (i) S.Nos. 105, 181, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 and 440 of TABLE I, (ii) S.Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71 and 72 of TABLE II, (iii) S.Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 14 of TABLE III, (iv) S.No 1 of TABLE IV, on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under notification No. 45/2025-Customs, dated the October 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)	NIL	
(1)	(2)	(3)	(4)								
20.	Any Chapter	All goods covered under-, (i) S.Nos. 105, 181, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 and 440 of TABLE I, (ii) S.Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71 and 72 of TABLE II, (iii) S.Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 14 of TABLE III, (iv) S.No 1 of TABLE IV, on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under notification No. 45/2025-Customs, dated the October 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)	NIL								
		xiii) In the Annexure, Sl.Nos. 8, 14, 19, 20, 32, 35, 36, 37, 39, 51, 53, 54, 63, 87, 98, 124, 145, 146, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 163, 165, 171 and the entries relating hereto, shall be omitted;									
4.	52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 787 (E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the TABLE, serial number 1 and the entries relating thereto shall be omitted.									

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2025.

[F. No. CBIC- 190341/168/2025- TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: 1. The principal notification No 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February

- 2018, and was last amended *vide* notification No. 20/2025-Customs, dated the 27th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 202(E) dated the 27th March, 2025.
2. The principal notification No 8/2020-Customs , dated the 2nd February, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 2nd February, 2020, and was last amended *vide* notification No. 35/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 438(E) dated the 23rd July, 2024.
 3. The principal notification No 11/2021-Customs , dated the 1st February, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E) dated the 1st February, 2021, and was last amended *vide* notification No. 20/2025-Customs, dated the 27th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 202(E) dated the 27th March, 2025.
 4. The principal notification No 52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 38/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E) dated the 23rd July, 2024.